



उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए, न्याय मार्ग, प्रयागराज-211 001

उ०शि०आयोग / सी-824(III) / 176 (U) 2022-23

दिनांक : 10 मई, 2022

प्रेस-विज्ञप्ति

विज्ञापन संख्या-50 में विज्ञापित सहायक आचार्य भूगोल विषय के साक्षात्कार में शार्टलिस्टेड न किये जाने के विरुद्ध दायर याचिका ए संख्या-3870/2022 श्री सुजीत कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2022 के अनुपालन में श्री सुजीत कुमार (अनुसूचित जनजाति वर्ग) अनुक्रमांक-5003602146 के अंक जॉचोपरान्त अनारक्षित वर्ग में साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के समान होने के कारण उन्हें आयोग की बैठक संख्या-1160 दिनांक 10.05.2022 द्वारा अनारक्षित वर्ग में साक्षात्कार हेतु सम्मिलित किया जाता है।

सूच्य है कि भूगोल विषय में अनुसूचित जनजाति वर्ग में 01 पद महिला महाविद्यालय हेतु विज्ञापित किया गया था। सहशिक्षा महाविद्यालय हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई पद विज्ञापित न होने के कारण तत्समय उन्हें शार्टलिस्टेड नहीं किया गया था। अतः श्री सुजीत कुमार को अनारक्षित वर्ग में साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड किया गया है। साक्षात्कार हेतु निर्धारित तिथि की सूचना अभ्यर्थी के पजीकृत मोबाइल नम्बर पर SMS एवं ई-मेल आई.डी. पर ई-मेल के माध्यम से अलग से प्रेषित की जा रही है।

सचिव
उ०शि० आयोग


(वन्दना त्रिपाठी)
सचिव